

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, आरा।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-04R1/PHED/ARA/2026-27
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, आरा
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-10.07.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की तिथि : दिनांक 18.07.2026 से 22.07.2026 को 04:00 बजे
आपराहन तक। www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 22.07.2026 को 05:00 बजे अपराहन तक।
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
5. अग्रघन एवं परिमाण विपत्र के मूल्य
एवं प्रोसेसिंग शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करने:
की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक-23.07.2026 को 03:00 बजे अपराहन तक।
(1) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,
आरा का कार्यालय।
(2) अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल,
आरा का कार्यालय।
(3) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
पटना प्रक्षेत्र पटना का कार्यालय।
6. निविदा (तकनीकी बीड) खोलने की तिथि
एवं समय : दिनांक 23.07.2026 को 04:00 बजे अपराहन।
सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड निष्पादन के बाद समय एवं तिथि
वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर सूचित की
जायेगी।
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

8. कार्य का विवरण

क्र०सं०/गु प संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य, जो लौटाया नहीं जायगा।	कार्य समाप्ति अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Construction of 20 Nos.125mm X 40mm dia. X 61 meter deep hand operated T/well and 10 Nos of 125mm X 45 meter deep Gravel packed Tube well (G.P.T) with India Mark II Hand Pump and construction of 1.85 Mtr. dia. circular P.C.C. Platform and 3.00 mtr P.C.C drain along with soakpit at the place of defunct	28.179	56,500.00	5,000.00	03 माह

[Type here]

५

9. निविदा की वैधता की तिथि : निविदा खोलने की तिथिसे 180 दिनों तक।
10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना या अन्य शर्तें www.eproc2.bihar.gov.in बेवसाईट पर देखा जा सकता है।

निविदा के अन्य शर्त:-

11. विभाग अन्तर्गत निबंधित समुचित श्रेणी के संवेदक अधिसूचना सं०-13589 (S) दिनांक-13.12.2011 के संवेदक कार्यों की निविदा में भाग ले सकेंगे।
12. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जायेगा। ई-निविदा से संबंधित जानकारी **First Floor, M/22, Bank of India Building, Road No-25, S1 krishnanagar, patna-800001 Ph:0612-2523006, Mob:9939035696, Fax: 0612-2523006**, से प्राप्त किया जायेगा।
13. निविदा प्रपत्र बेवसाईट पर , Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ बेवसाईट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
14. निविदा कागजात भरकार बेवसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खोलने की जानकारी बेवसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधि किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र बेवसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
15. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
16. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिक के लिए Cess के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
17. निविदा के साथ पैन नं०, GST नं०, अद्यतन आयकर रिटर्न (Assessment Year 2025-26) जमा करना अनिवार्य है।
18. राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
19. सफल संवेदको द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर एकरारनाम कर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तथा उनकी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
20. एक बार निविदा में भाग लेने के बाद निविदा प्राप्ति के अन्दर कार्य कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तथा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
21. समान्यतः कार्य पूर्ण करने हेतु समय वृद्धि नहीं दी जायेगी। ससमय कार्य करने की बाध्यता संवेदक की होगी।
22. वैसे संवेदक को कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा जो विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित कार्य को निष्पादित करने में सक्षम नहीं हो सके है तथा इस वित्तीय वर्ष में आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किये है अथवा जिनका कार्यकलाप संदेहास्पद रहा हो।
23. प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है।
24. प्रधान सचिव के पत्रांक-3679 दिनांक-11.11.2021 के आदेशानुसार आवंटित कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध 80 प्रतिशत से कम या कार्य पूर्ण नहीं होने पर तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिया जायेगा।

[Type here]

- एकरारनामा के पूर्व अद्यतन लेबर लाईसेंस तथा भुगतान के पूर्व अद्यतन वाणिज्यकर सफाया प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
26. निविदा के साथ संवेदको द्वारा संलग्न किये जाने वाले अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों पर संबंधित संवेदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
27. न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जायेगा। एक से अधिक न्यूनतम दर दाता होने कि स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।
28. वैसे संवेदक जिनके लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना प्रक्षेत्र पटना के अधिन कार्य बकाया है एवं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तकनीकी बीड में अयोग्य माने जायेंगे। निविदा में शामिल होने वाले सभी संवेदकों को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके जिम्मे प्रक्षेत्र (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना प्रक्षेत्र पटना) स्तर पर कोई कार्य लंबित नहीं है। गलत शपथ दिये जाने पर कानूनी कार्यवाई करते हुए अग्रघन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।
29. चापाकल का निर्माण चबूतरा, नाली एवं सोख्ता के साथ पूर्ण कराकर पानी गीरता हुआ चापाकल का रंगीन छायाचित्र विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धृत करने पर अतिरिक्त जमानत की राशि परफोरमेंस गारंटी के रूप में जामा करना अनिवार्य होगा।
30. निवादाकार यदि निविदित दर कम कर उद्धृत करेंगे, तो लिखित रूप से मद का विस्तारित दर विप्लेषण निविदा के साथ संलग्न करेंगे कि वे इस कार्य को कैसे संपादित करेंगे तथा उक्त असंतुलित दर के लिए संवेदक अतिरिक्त प्रतिभूति Performance guaranty एकरारनाम के समय जमा करेंगे। (Additional Performance Guarantee) निम्न प्रकार लिया जायेगा।
- परिमाण वित्र के दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए जामा करना होगा।
 - परिमाण वित्र के दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए जामा करना होगा।
 - परिमाण वित्र के दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए जामा करना होगा।
 - परिमाण वित्र के दर से 20 प्रतिशत से अधिक कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए जामा करना होगा।
 - जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।
31. जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र देना होगा।
32. बेलट्रान का प्रोसेसिंग फीस + अन्य कर (जो लौटाया नहीं जायेगा) केवल ऑनलाईन भुगतान के रूप में मान्य होगा जो कि Internet Payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS से भुगतान होगा।
33. परिमाण विपत्र के मूल्य (अन्य फीस के साथ, जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमडल आरा के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा आरा में भुगतये हो, के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। परिमाण विपत्र से संबंधित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा के साथ स्कैन कर अपलोड करना तथा निविदा अपलोड के अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक उपर्युक्त कड़िका-05 में वर्णित किसी एक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
34. "Earnest Money Deposit" (EMD) can be paid either through e-payment or manual mode (only BG). In case of manual mode of payment of the EMD. The original hard copy of the EMD which should be submitted in the tendering authority office within the next working day after the tender closing date."
- Note: "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department/tendering authority

will not take any responsibility for the delay/non submission of tender/non reconciliation of online payment caused due to non-availability of internet connection, internet traffic/holiday or any other reason."

ब्लैकलिस्टेड, डिवार्ड, रिसाईन्ड, इत्यादि के आषय का शपथ-पत्र 125 रु. के स्टाम्प पेपर पर जमा करना अनिवार्य होगा।

36. निर्माण में व्यवहृत होने वाले आई.एस.आई.मार्क IM-II हैण्ड पंप/स्पेशल हैण्ड पंप/जी.आई.पाईप/यू.पी.भी.सी. पाईप एवं स्ट्रेनर आदि के गुणवत्ता प्रमाण हेतु प्रधिकृत तृतीय पक्ष जॉच प्रतिवेदन के साथ सामग्री प्रबंधन मंडारण सुरक्षा स्वयं के व्यय पर करना होगा। सामग्री पूर्ण रूपेण कनीय अभियंता के कस्टडी में रखवाना संवेदक को सुनिश्चित करना होगा।
37. संवेदक को किये गये चापाकल का निर्माण कार्य का विपत्र प्रस्तुत करते समय चापाकल के पानी की शुद्धता की जॉच रिपोर्ट, जिओ-टैग सहित फोटोग्राफ एवं लामार्थी का मोबाईल नं० देना अनिवार्य होगा।
38. विभागीय एमआईएस पर स्थापित हैडपंप की प्रविष्टि:-

क. संवेदक को हैडपंप से संबंधित डेटा/साइट फोटोग्राफ/सोशल ऑडिट निर्धारित प्रारूप में विभागीय एमआईएस पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आईडी और पासवर्ड के माध्यम से निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा।

10/07


कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा।